भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1042

गुरुवार, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 (शक)

राष्ट्रीय राजमार्गों का लक्षित निर्माण

1042. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री नलीन कुमार कटीलः

श्री विद्युत वरण महतोः

श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 60,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने और इन सड़कों की लंबाई 2022 तक दो गुनी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई नीति बनाई है जोकि कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विलंब का सबसे बड़ा कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार अपनी कुछ महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं जैसे भारतमाला और सागरमाला को तेजी से पूरा करने पर बल दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आज की तारीख में सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): भारत सरकार ने लगभग 34,800 किलोमीटर कुल लंबाई वाले राजमार्ग खंडों के विकास के लिए भारतमाला परियोजना चरण-I को अनुमोदन प्रदान किया है जिसे 2021-22 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, कुल 48,877 (लगभग) किमी लंबाई के सड़क खंडों का विकास किए जाने की भी परिकल्पना की गई है।

(ख): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में दिशा-निर्देशों का एक मैनुअल तैयार किया है जिसमें राजमार्ग अधिनियम, 1956 के स्थान पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) की अनुप्रयोज्यता के संबंध में, भूमि के बाजार मूल्य को निर्धारित करने, गुणन कारक, भू-स्वामियों की सहमति से भूमि की खरीद, मिसिंग प्लॉट के लिए भूमि के अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण के हेतु प्रशासनिक प्रभारों आदि के संबंध में विस्तृत नीतिगत दिशा-निर्देश शामिल हैं।

(ग): सागरमाला कार्यक्रम पोत परिवहन मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र में आता है। हालाँकि, भारतमाला परियोजना चरण-। का कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देखा जाता है जिसमें पत्तन सड़क संपर्कता मार्गों का विकास किया जाना शामिल है। इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है।

(घ): पिछले पांच वर्षों में निर्मित राजमार्गों की कुल लंबाई का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	**पिछले 5 वर्षों (किमी) के दौरान निर्मित राजमार्गों की लंबाई**
2014-15	4410
2015-16	6061
2016-17	8231
2017-18	9829
2018-19	10,855
कुल	**39,386**

*****